

कथन — हरदीप सिंह भाटिया

थाना	-	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	-	09/2015
धारा	-	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	-	हरदीप सिंह भाटिया पिता श्री वविन्द्र सिंह भाटिया
उम्र	-	35 वर्ष
वर्तमान पता	-	कार्यालय जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, अंबिकापुर, जिला अंबिकापुर (छ0ग0)
स्थायी पता	-	विवेकानंद नगर, गली नं.-4 धमतरी, धमतरी(छ0ग0)
मोबाईल नंबर	-	8817903654, 9425898200
व्यवसाय	-	कनिष्ठ तकनीकी सहायक, नागरिक आपूर्ति निगम, अंबिकापुर (छ0ग0)

—00—

मैं हरदीप सिंह भाटिया पूछे जाने पर बता रहा हूँ कि मैं कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर नागरिक आपूर्ति निगम, अंबिकापुर में फरवरी 2015 से पदस्थ हूँ। इसके पूर्व इसी पद पर धमतरी में पदस्थ था। मेरा शासकीय मोबाईल नंबर 88179-03654 है तथा पर्सनल मोबाईल नंबर 94258-98200 है, यह मेरे नाम से ही है।

आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे शासकीय मोबाईल नंबर 88179-03654 से श्री एस.एस. भट्ट, मैनेजर, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर से उनका पर्सनल मोबाईल नंबर 93036-78423 पर हुई बात का कॉल ट्रांसक्रिप्शन दिखाया गया एवं उसकी हुई आवाज को सुनाया गया। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ कर एवं रिकार्ड की हुई बातें सुनकर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूँ कि :-

दिनांक 03.02.2015 के 14:26:00 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 03.02.2015 के 14:26:25 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से श्री एस0एस0 भट्ट से उनके शासकीय मोबाईल नंबर पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मेरे द्वारा श्री भट्ट को फोन लगाने पर अरविन्द ध्रुव से मिलने के लिये कहा गया था। दिनांक 03.02.2015 को मेरे जिला प्रबंधक, टी.डी. हरचन्दानी द्वारा कार्यालय में बुलाकर श्री एस.एस. भट्ट मैनेजर साहब को देने के लिये मुझे एक फोटोकॉपी फाईल जो चारों तरफ से पैक था, दी गई थी। इसी संबंध में मैंने रायपुर पहुंच कर श्री भट्ट साहब को उनके मोबाईल पर बात किया था, तब उनके द्वारा अरविन्द ध्रुव से मिलकर फाईल उसे देने के लिये कहा गया था। इसके थोड़ी देर बाद अरविन्द ध्रुव ने मेरे मोबाईल पर फोन कर मुझे मुख्यालय के बाहर पानी टंकी के पास रुकने के लिये कहा था और थोड़ी देर में मेरे पास आकर मुझसे फाईल ले लिये और अपने मोबाईल से भट्ट साहब से बता कराये थे, तब भट्ट साहब ने मुझे जाने के लिये कह दिया था। यही मेरा कथन है।

दिनांक 27.03.2015



(एस0डी0 देवस्थले)

निरीक्षक

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ़